

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 319/2012 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

जितेन्द्र पुत्र कप्तान सिंह जाट उम्र 30 वर्ष
निवासी ग्राम सोनी थाना बिजोली जिला
ग्वालियर (म0प्र0)।

.....अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशव सिंह
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 887/2012 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 319/2012

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री जी0एस0गुर्जर अधिवक्ता।

//नि र्ण य//
//आज दिनांक को घोषित किया गया//

01. आरोपी का विचारण धारा 363, 366 भा0दं0वि0 के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 16.08.12 को रात्रि के 08-09 बजे के बीच ग्राम ऐंचाया थाना गोहद में फरियादिया के खलिहान के पास व्यपहृता जो कि नावलिक है उसे उसके माता-पिता/मामा की विधिपूर्ण संरक्षकता से उसकी सहमति के बिना ले जाकर उसका व्यपहरण किया। उस पर यह भी आरोप है कि उसके द्वारा उक्त नावालिका का व्यपहरण उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए किया कि उससे विवाह करने या उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध किया जा सके।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि रिपोर्ट कर्ता नहार सिंह

निवासी ऐंचाया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की गई है कि उसकी भान्जी अपहृता जो कि 16 वर्ष की उम्र की है तथा गजेन्द्र सिंह की पुत्री है, ग्राम सेमरी तहसील डबरा से करीब तीन माह पूर्व से उनके घर पर रह रही है। दिनांक 16.08.2012 को आरोपी जितेन्द्र मोटरसाइकिल लेकर के ग्राम ऐंचाया आया और उसकी भांजी जो कि शौच करने के लिए गई थी, उसे जबरदस्ती पकड़ कर मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। उसके साथ अन्य दो सहयोगी भी थे। उसकी भांजी चिल्लाई तो वह व साक्षी नहार सिंह व उसके पिता दौड़कर आए तब तक आरोपी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। उसके बाद फरियादी आरोपी के गाँव ग्राम सोनी विजोली गया तो आरोपी के घर वालों ने कहा कि लडकी को लौटा देगे, किन्तु आश्वासन दिए जाने के उपरांत भी आरोपी द्वारा लडकी को नहीं लौटाया गया जिस पर से दिनांक 01.09.2012 को लिखित रिपोर्ट फरियादी नहार सिंह के द्वारा थाना गोहद में दी गई जिसके आधार पर थाना गोहद में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 194/12 धारा 363, 366, 34 भा0दं0सं0 का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। दिनांक 21.09.12 को अपहृता की बरामदगी की गई और इस संबंध में बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की गई। अपहृता एवं आरोपी दोनों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। उम्र के संबंध में जाँच बावत् अपहृता का एक्सरे परीक्षण भी कराया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अपराध पाए जाने से अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 363, 366 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए उसे झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

05. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 16.08.12 को आरोपी के द्वारा ग्राम ऐंचाया से व्यपहृता जो कि नावालिक है को उसके मातापिता/मामा की विधिपूर्ण संरक्षकता से ले जाकर उसका व्यपहरण किया?

2. क्या आरोपी के द्वारा इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि नावालिक व्यपहृता को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जा सकता है उसका व्यपहरण किया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-

06. साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
07. धारा 363 भा0दं0वि0 भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करने के संबंध में दण्ड का प्रावधान करती है। धारा 361 भा0दं0वि0 के अंतर्गत विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण के लिए यदि व्यपहृत व्यक्ति नर है तो वह 16 वर्ष से कम आयु वाला और यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम उम्र वाली हो अथवा विकृत्तचित्त व्यक्ति हो और इस प्रकार के अप्राप्तवय या विकृत्तचित्त व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसकी सम्मति के बिना या बहलकार ले जाया जाना आवश्यक है।
08. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है। वर्तमान प्रकरण की व्यपहृता घटना के समय अपने मामा के यहाँ ग्राम ऐंचाया तहसील गोहद में रहना बताया गया है, जब वह गजेन्द्र सिंह राणा निवासी सेमरी तहसील डबरा की पुत्री है, जिसे कि तीन महीने से अपने मामा के यहाँ पर ग्राम ऐंचाया में रहना बताया जा रहा है और घटना के समय उसकी उम्र 16 वर्ष की होनी बताते हुए अपने मामा नहारसिंह की विधिपूर्ण संरक्षकता में होना बताया गया है।
09. धारा 363 भा0दं0वि0 के अपराध के संबंध में पीडिता की उम्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यपहरण का अपराध घटित करने हेतु व्यपहृता की उम्र 18 वर्ष से कम होना प्रमाणित होनी चाहिए। व्यपहृता की घटना के समय उम्र का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में फरियादी/रिपोर्टकर्ता नहारसिंह अ0सा0 1 जिसकी कि संरक्षकता में कथित व्यपहृता घटना के समय होनी बतायी जा रही है, उनके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि घटना के समय उसकी भान्जी तीन महीने से उसके पास ही रह रही थी और उसके माता-पिता ग्राम सेमरी तहसील डबरा में रहते हैं। घटना के समय भान्जी की उम्र 18-19 साल की होनी उसके द्वारा बताई गई है। पुलिस थाना गोहद में लिखित आवेदनपत्र प्र.पी.1 देना तथा जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 दर्ज की जाना और घटना स्थल के नक्शा मौका प्र.पी. 3 पर अपने हस्ताक्षर होना उसके द्वारा स्वीकार किया गया है।

10. यह उल्लेखनीय है कि लिखित रिपोर्ट प्र.पी. 1 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 में व्यपहृता की उम्र 16 वर्ष की होनी बताई गई, किन्तु रिपोर्टकर्ता फरियादी नहार सिंह के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में उसकी उम्र घटना के समय 18—19 साल की होनी बताई गई है। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि घटना की रिपोर्ट के पश्चात् कथित व्यपहृता की बरामदगी प्र.पी. 6 के अनुसार की जानी अभियोजन के द्वारा बताई जा रही है जो कि उक्त व्यपहृता की बरामदगी के संबंध में तत्कालीन ए0एस0आई0 थाना गोहद गिरीश कुमार अ0सा0 5 ने अपने साक्ष्य कथन में व्यपहृता की बरामदगी दिनांक 21.09.12 को उनके द्वारा गवाहों के समक्ष किया जाना और प्र.पी. 6 का बरामदगी पंचनामा तैयार किया जाना बताया गया है। उक्त बरामदगी पंचनामा प्र.पी. 6 का समर्थन नगीना अ0सा0 3 एवं प्र0आर0 तहसीलदार सिंह अ0सा0 6 के द्वारा भी किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि प्र.पी. 6 के पंचनामे पर व्यपहृता की उम्र 25 वर्ष की होनी के संबंध में उल्लेख है। अभियोजन के द्वारा कथित व्यपहृता को प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया गया है और उसका कोई भी कथन उसकी बरामदगी के समय या उसके उपरांत कभी—भी नहीं लिया गया है। जैसा कि इस संबंध में बरामदगी कर्ता अधिकारी गिरीश कुमार अ0सा0 5 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि बरामदगी के समय व्यपहृता का कोई कथन नहीं लिया गया था और कथन न लेने का कोई कारण वह नहीं बता सकता। स्वतः में उनके द्वारा बताया गया है कि उसने कथन देने से इंकार कर दिया था। इस बात को भी स्वीकार किया है कि व्यपहृता ने इस बात का शपथपत्र दिया था कि वह 22 वर्ष से उपर की वालिक हैं निश्चित तौर से व्यपहृता का कथन उसकी बरामदगी होने के उपरांत भी क्यों नहीं लिया गया और उसको न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में क्यों पेश नहीं किया गया है यह विचारणीय है। बरामदगी जो कि स्वयं अभियोजन का दस्तावेज है उसमें व्यपहृता की उम्र 25 वर्ष की होने का उल्लेख है।

11. यह उल्लेखनीय है कि व्यपहृता की उम्र के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य भी अभियोजन के द्वारा पेश या प्रमाणित नहीं किया गया है। इस प्रकार किसी भी दस्तावेज के आधार पर व्यपहृता की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। किसी मौखिक साक्ष्य के आधार पर भी उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी प्रमाणित नहीं है। उम्र की जाँच के संबंध में अभियोक्त्री का एक्सरे परीक्षण कराया जाना अभियोजन के द्वारा बताया गया है और यह बताया गया है कि एक्सरे परीक्षण में उसकी उम्र 18 वर्ष से कम की होनी पाई गई है और इस आधार पर अभियोजन के द्वारा यह बताया जा रहा है कि घटना के समय व्यपहृता नावालिक थी। इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद तरेटिया अ0सा0 8 जिन्होंने कि व्यपहृता नीलू का एक्सरे परीक्षण किया है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह

बताया गया है कि उसका एक्सरे परीक्षण कराए जाने के पश्चात् रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय भिण्ड को अभिमत के लिए भेजा गया था जो कि रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय भिण्ड के द्वारा उसकी उम्र 18 वर्ष से कम उम्र की होनी बताई गई है। प्र.पी. 10 की रिपोर्ट पर उनके एवं रेडियोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर होना उनके द्वारा बताया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि रेडियोलॉजिस्ट जिनके द्वारा अभिमत दिया गया है उसको साक्षी नहीं बनाया गया है और न ही इस संबंध में उसका कोई कथन न्यायालय में कराया गया है। ऐसी दशा में भी जब कि अभिमत देने वाले चिकित्सक को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, किन आधारों पर अभिमत दिया गया है यह भी उनकी साक्ष्य के अभाव में कहीं स्पष्ट नहीं होता है। अभिमत में केवल 18 साल से कम की होने का उल्लेख है, किन्तु उसकी उम्र कितनी हो सकती है ऐसा कहीं भी निश्चित नहीं किया गया है। निश्चित तौर से यदि 18 वर्ष से कम होने का उल्लेख है एवं उसकी उम्र के संबंध में कोई रेंज नहीं दी गई है तो रेडियोलॉजी परीक्षण में दो वर्ष नीचे या ऊपर माना जाएगा और इस दशा में जैसा कि इस संबंध में **जयमाला वि० होम सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ए.आई.आर 1982 सुप्रीमकोर्ट** में भी अभिधारित किया गया है। जो तथ्य अभियुक्त के पक्ष में जाते हैं उसे उसका लाभ दिया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में भी अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम की होना नहीं मानी जा सकती, बल्कि उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर की होनी परिलक्षित होती है।

12. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पीडिता की उम्र के संबंध में उसके माता-पिता के भी कोई कथन नहीं किराए गए हैं जो कि उसकी उम्र के संबंध में अधिक अच्छी साक्ष्य हो सकती थी और अभियोक्त्री की उम्र उनके द्वारा प्रमाणित की जा सकती थी।

13. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर घटना के समय कथित व्यपहृता की उम्र 18 साल से कम की होनी प्रमाणित नहीं हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में धारा 363 भा०दं०वि० का अपराध आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

14. धारा 366 भा०दं०वि० के अपराध हेतु किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करने अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध किए जाने का तथ्य प्रमाणित करना होता है। वर्तमान प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है कि पीडिता महिला का कोई व्यपहरण होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। उसकी उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम की होना प्रमाणित नहीं हुई है। फरियादी नहार सिंह के द्वारा उसकी भांजी जो कि घटना के समय उसके यहाँ रह रही थी। जब वह लैट्रिंग करने गई थी वहाँ से बापस न आने और उसको ढूँढने पर उसका पता न चलने के संबंध में तथा पुलिस थाना गोहद में लिखित आवेदन प्र.पी. 1 देना तथा जिसके

आधार पर प्र०पी० 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना बताया है, किन्तु वर्तमान आरोपी के द्वारा उसका व्यपहरण किया गया हो ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी इंदर सिंह अ०सा० 2, गंधर्व सिंह अ०सा० 4 के कथनों में भी कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे कि आरोपी के द्वारा कथित पीड़िता का अपहरण करने की पुष्टि होती हो। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन के द्वारा स्वयं कथित अपहृता नीलू के भी कोई कथन नहीं कराए गए हैं। जबकि उसकी बरामदगी प्र.पी. 6 के अनुसार की गई है। अपहृता की बरामदगी के उपरांत भी उसका कोई पुलिस के द्वारा लेखबद्ध नहीं करना और उसे साक्षी के रूप में भी पेश न करने के परिप्रेक्ष्य में भी पीड़िता नीलू का अपहरण होना अथवा आरोपी के द्वारा उसका अपहरण उसके साथ विवाह करने हेतु विवश करने के लिए या अयुक्त संभोग करने हेतु विवश और विलुब्ध किये जाने हेतु किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

15. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में जब कि घटना में कथित व्यपहृता का कोई भी साक्ष्य कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है जो कि इस संबंध में एक सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकता था। स्वयं अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो कि व्यपहृता की दस्तयावी करने के संबंध में दस्तयावी पंचनामा है उसमें उसकी उम्र 25 वर्ष होनी उल्लेख की गई है। व्यपहृता की उम्र के संबंध में कोई भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे कि उसकी घटना के समय उम्र 18 वर्ष से कम होने का तथ्य प्रमाणित होता है। व्यपहृता की उम्र के निर्धारण में रेडियोलॉजी टैस्ट और रिपोर्ट प्र.पी. 10 भी विधिवत संबंधित चिकित्सक जिनका कि अभिमत दिया गया है उसके द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तथा उक्त अभिमत जिसमें कि मात्र इस बात का उल्लेख है कि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, किन्तु उसकी उम्र किस रेंज की है ऐसा भी कहीं उसमें नहीं बताया गया है। इस प्रकार रेडियोलॉजी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भी कथित व्यपहृता की उम्र 18 साल से कम होनी नहीं मानी जा सकती। व्यपहृता को आरोपी के द्वारा ही ले जाया गया और उसे बहलाकर ले गया है, इस आशय का भी कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी दशा में मात्र विवेचना अधिकारी गिरीश कुमार अ०सा० 5 के द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में जिसमें कि साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना और व्यपहृता की बरामदगी करना और घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करना तथा व्यपहृता के कपड़ों की जप्ती की कार्यवाही करना और आरोपी को गिरफ्तार किया जाना बताया जा रहा है उसके आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता किसी भी प्रकार से सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती।

16. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण का किसी भी प्रकार से वर्तमान में विचारित

किए जा रहे आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित न होना पाते हुए आरोपी जितेन्द्र सिंह को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 363, 366 भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. प्रकरण में जप्तशुदा पेटीकोट, प्यूविक हेयर आदि वस्तुएं अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड